न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–246/2003
CIS No.-TS 152/2019

अनिरूद्ध प्रसाद राय एवं अन्य...वादीगण

बनाम

उमाशंकर राय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.08.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2025 को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 21.03.2009 को प्रतिवादी सं0–01 स्व0 उमाशंकर राय का नाम विलोपित कर उनके वारिशानों तथा दो पुत्र रविन्द्र राय और बिरेन्द्र राय और दो पुत्री मंजु देवी और रंजु देवी और स्व0 उमाशंकर राय की पत्नी लालपरी देवी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, जिनके प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 21.03.2009 स्वीकृत करते हुए उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने एवं मृत प्रतिवादी स्व0 उमाशंकर राय का नाम विलोपित करने वास्ते आदेश पारित हुआ। तत्सयम अभिलेख व्यवहार न्यायालय, बेतिया में चल रहा था, जहाँ पर आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका तथा यहाँ आने के बाद उसपर कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया और प्रतिवादी की मृत्यु एवं प्रतिस्थापना के संबंध में कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सका और जब मुकदमा में बहस करीब–करीब समाप्ति पर था उस समय प्रतिवादी की ओर से इस तथ्य को उजागर किया गया और तब इस संबंध में यह आवेदन दाखिल किया जा रहा है। वादी की ओर से जानबुझकर कोई गलती नहीं की गयी है बल्कि	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–246/2003
CIS No.-TS 152/2019

अनिरूद्ध प्रसाद राय एवं अन्य..वादीगण

बनाम

उमाशंकर राय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 12.08.2025	जानकारी के अभाव में प्रतिस्थापना की कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मृत प्रतिवादी स्व0 उमाशंकर राय का नाम इस मुकदमा से विलोपित करने एवं उनके वारिसानों (1) मु0 लालपरी देवी, पति–स्व0 उमाशंकर राय, साकिन–चानकी, पो0–सैदपुर, थाना–शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण, वर्तमान पता–हरदिया चौक नरकटियागंज, वार्ड नं0–14, थाना–शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण (2) मंजू देवी, पुत्री–स्व0 उमाशंकर राय, पति– उपेन्द्र मिश्र, साकिन–छपकहिया, पो0–छपकहिया, थाना–अरेराज, जिला–पूर्वी चम्पारण (3) रंजू देवी, पुत्री–स्व0 उमाशंकर राय, पति– पप्पु सिंह, साकिन–बानूछापर, पो0–बेतिया, थाना–बानूछापर, जिला–प0 चम्पारण का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के मृत प्रतिवादी स्व0 उमाशंकर राय का नाम विलोपित करने एवं उनके विधिक वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 21.03.2009 स्वीकृत किया गया था, जिस आदेश का अनुपालन अभिलेख व्यवहार न्यायालय,	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–246/2003

CIS No.-TS 152/2019

अनिरूद्ध प्रसाद राय एवं अन्य...वादीगण

बनाम

उमाशंकर राय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 12.08.2025	बेतिया में रहने के कारण नहीं किया जा सका एवं वादीगण द्वारा पुनः प्रतिस्थापन का आवेदन दिया गया है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2025 को मो0–1500 रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी स्व0 उमाशंकर राय का नाम वाद पत्र से कलमजद करने एवं उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वाद दिनांक 26.08.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	